

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली में बांजबगड तेलान मोटर मार्ग के किमी 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (किमी 9.000 से किमी 12.000 तक)

क्षेत्रफल —	2.012 हे०
लम्बाई —	4.00 किमी०

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग

CHECK LIST

Name of Project : Conversion & Damrikan of Banjagar Telan LVR to Motor Road in Km 9 and Construction of Motor Road from 10 to 12 in District Chamoli.

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.	5	Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.	6	Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.	7	Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.	8	Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.	9	Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006	10-15	Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation	16	Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.	17	Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate	18-19	Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.	20	Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)	-	Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.	21	Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.	22-27	Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.	28	Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.	29-32	Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.	33	Attached
2.6	Land schedule	34-36	Attached
2.7	Category wise land length, width and area	37	Attached
2.8	Bar Chart with index	38	Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land	39-40	Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation	41-42	Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation	43	Attached
2.12	Road side plantation estimate	44	Attached

CHECK LIST

Name of Project : Conversion & Damrikan of Banjagar Telan LVR to Motor Road in Km 9 and Construction of Motor Road from 10 to 12 in District Chamoli.

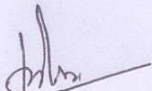
Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation	45	Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)	-	Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name	46	Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)	47	Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved	-	Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work	48	Attached
2.19	Muck disposal scheme	49-77	Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airtal distance of the project from National Park or sanctuary	78-79	Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life	-	Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.	-	Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg	80	Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas	81	Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.	-	Not Required
2.26	Component wise details of construction work.	-	Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.	82	Attached
2.28	Geologist Report	83-85	Attached
2.29	Task Force report	86-87	Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition	88-89	Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas	90	Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.	91	Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project	92	Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project	93	Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate	94	Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders	95	Attached
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV	96	Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate	-	Not Required
2.40	Certificate of Lease period	-	Not Required

CHECK LIST

Name of Project : Conversion & Demarkation of Banjbagar Telan LVR to Motor Road in Km 9 and Construction of Motor Road from 10 to 12 in District Chamoli.

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.41	Demarcation of land to be diverted	97	Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work	98	Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.	-	Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details	99-104	Attached

Birud
J.E.


Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Phone/Fax :- 01372-252173

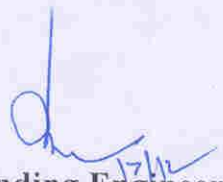
E-mail :- sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक :- 4987/2 लक

दिनांक :- 17/12/2014

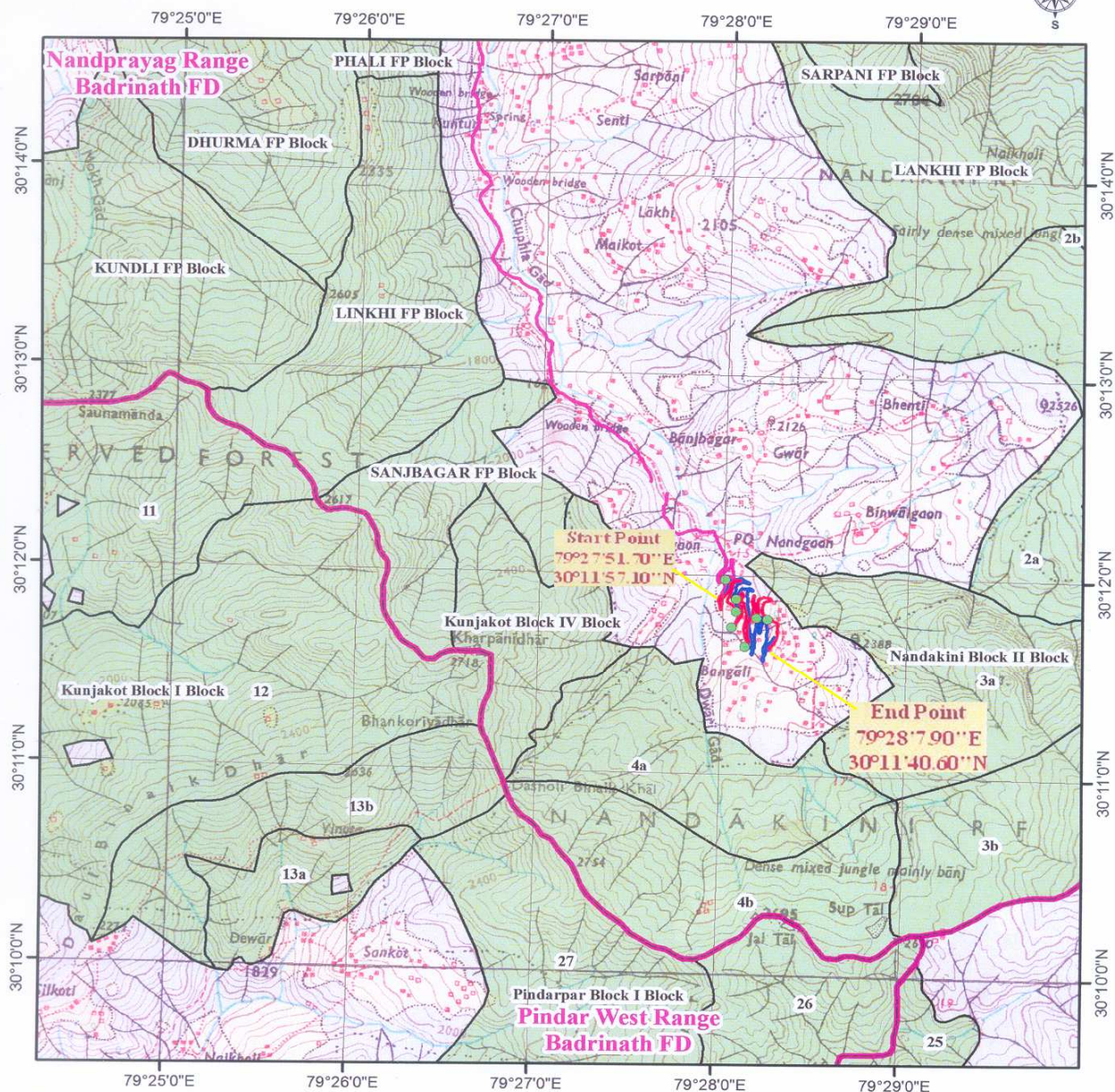
Certificate

Mr. Adarsh Gopal Singh Son of Shri. P.R. Singh is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads of the Provincial Division, PWD, Karanprayag on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Superintending Engineer, 7th Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli).


Superintending Engineer
7th Circle, PWD,
Gopeshwar (Chamoli)

डिजिटल मैप-जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Muck Dumping Zone
- Reserve Forest Area
- Forest Range Boundary
- Reserve Forest Boundary

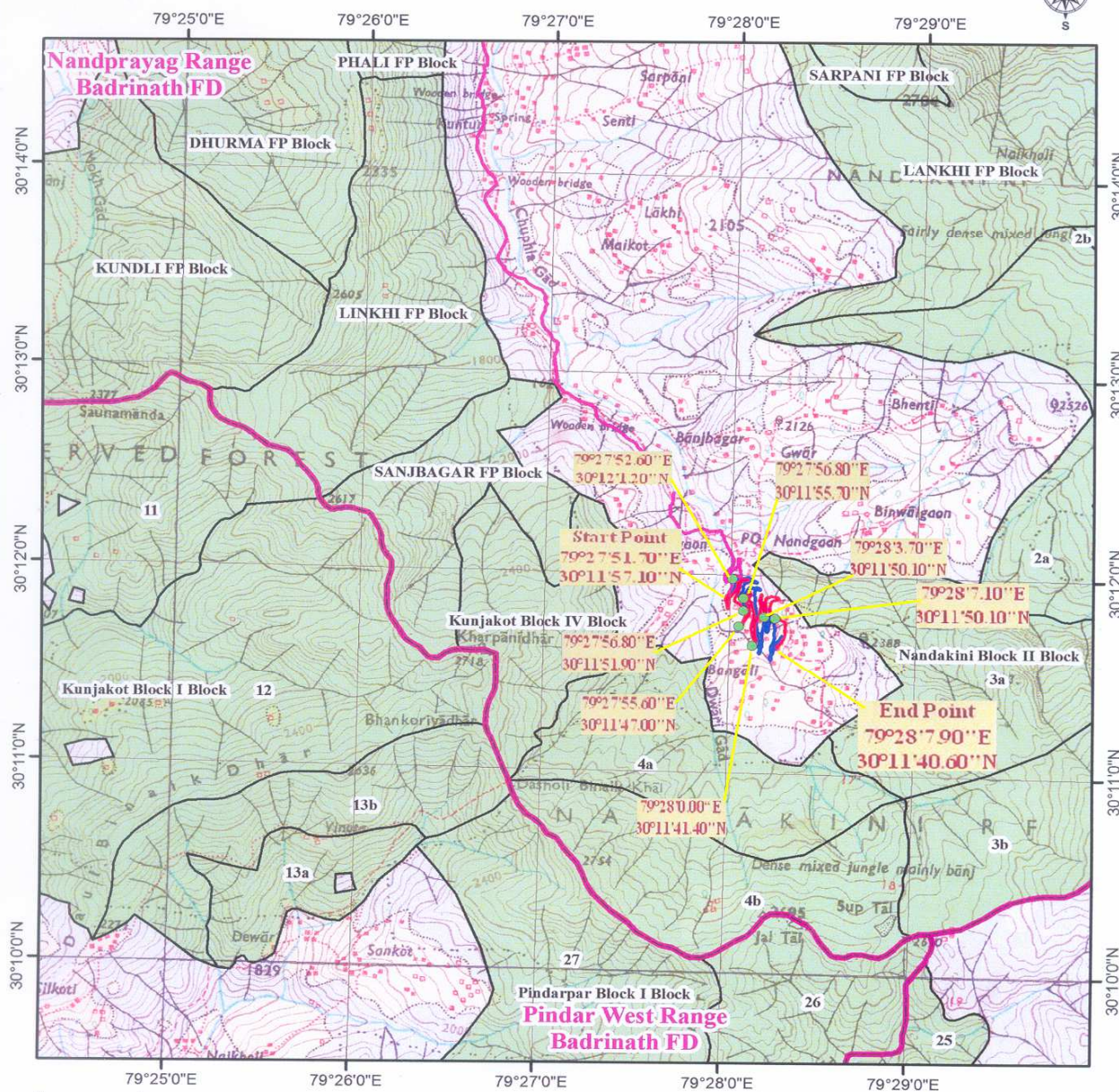
Handwritten signature
ME

अधिसारी अभियन्ता
प्राकृतिक संपद, लो. नं. 13
कर्मप्रयाग (चमोली)

प्रभातीय अधिकारी
बद्रनाथ वन भाग
बोवेश्वर (चमोली)

डिजिटल मैप-जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Muck Dumping Zone
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

[Signature]
NE

अधिसारी अभियंता
प्रादेशीय खण्ड, चमोली जिला
कर्णप्रयाग (चमोली)

[Signature]
प्रभारी अधिकारी
बद्रनाथ वन भाग
बोरेखर (चमोली)

Justification

Name of The Project : Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikan ka karya k.m. (9 to 12)

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Bangali have to walk through a distance of 3.5 to 4 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

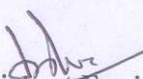
The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

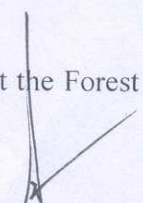
Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.
- 9- Suptaal (Pound) is near to the village, so the village will develop as a tourist place.
- 10- Many species of wood trees found in the village so village will develop as a supplier of wood to the wood industries.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 2.012 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendry places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 2.012 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag

Annexure-I

FORM-I
(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. R-7258 / E. 244 - 36 (2010-11)

Dated: 21 / 01 / 2014

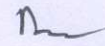
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 3.564 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for Construction of Road to connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikaran ka karya k.m.(9 to 12) falls within jurisdiction of Bangali Village in Ghat Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.012 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



Ashoke kumar (IAS)
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

जिला अधिकारी
चमोली

Annexure-I

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashoke kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 2.1.11.2015 At 17.01.11 Chamoli in which the application claiming rights in village Bangli of Tehsil-Ghat, area Measuring 2.012 Hectares for the Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikaran ka karya k.m. (9 to 12) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Ghat Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case for diversion of the land for the said purpose.



Ashoke kumar (IAS)
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

जिला अधिकारी
बनोली

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमौली में राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चमौली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चमौली

उपखण्ड चमौली परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य (—x— हे० आरक्षित वन भूमि, 0.374 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.638 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.012 हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हृद) की दिनांक 16-1-13 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|---|---------------------------|--------------------------|---------|
| 1- | श्री <u>राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य</u> | उपजिलाधिकारी | <u>चमौली (सदर) AKSHI</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>चमौली</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>चमौली</u> | सदस्य |
| 4- | श्री <u>राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य</u> | वन अधिकार समिति | <u>चमौली</u> | सदस्य |
| 5- | श्री <u>राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य</u> | वन अधिकार समिति | <u>चमौली</u> | सदस्य |
| 6- | श्री <u>राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य</u> | वन अधिकार समिति | <u>चमौली</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य

परियोजना हेतु 2.012 हे० वन भूमि

का राजबारा तैलान मोटरमार्ग के किमी. 9 का इल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चौली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड SHC परिक्षेत्र के अन्तर्गत बागलगाँव तहसील वन परियोजना के निर्माण हेतु 2.01.2 हे० वन भूमि ली-निकी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Ak Sg'

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—चौली
जनपद—चौली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Ak Sg'

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—चौली
जनपद—चौली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में राजबगड़ तैलान मैदर मार्ग से
किमी. 9 का हल्का वहन मार्ग से मैदर मार्ग में परिवर्तन एवं किमी. 10 से 12
तक नवनिर्माण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम स्यारी बाली
तहसील चमोली, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत राजबगड़ तैलान मैदर मार्ग परियोजना
के निर्माण हेतु (X हे० आरक्षित वन भूमि, 0.374 हे० सिविल सोयम भूमि 1.638 हे०,
वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल 2.012 हे० वन भूमि का
लो. वि. वि. सं. नं० १५५५५ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यारी बाली द्वारा दिनांक 15.11.15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम स्यारी बाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लो. वि. वि. सं. नं० १५५५५ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/Aswani
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

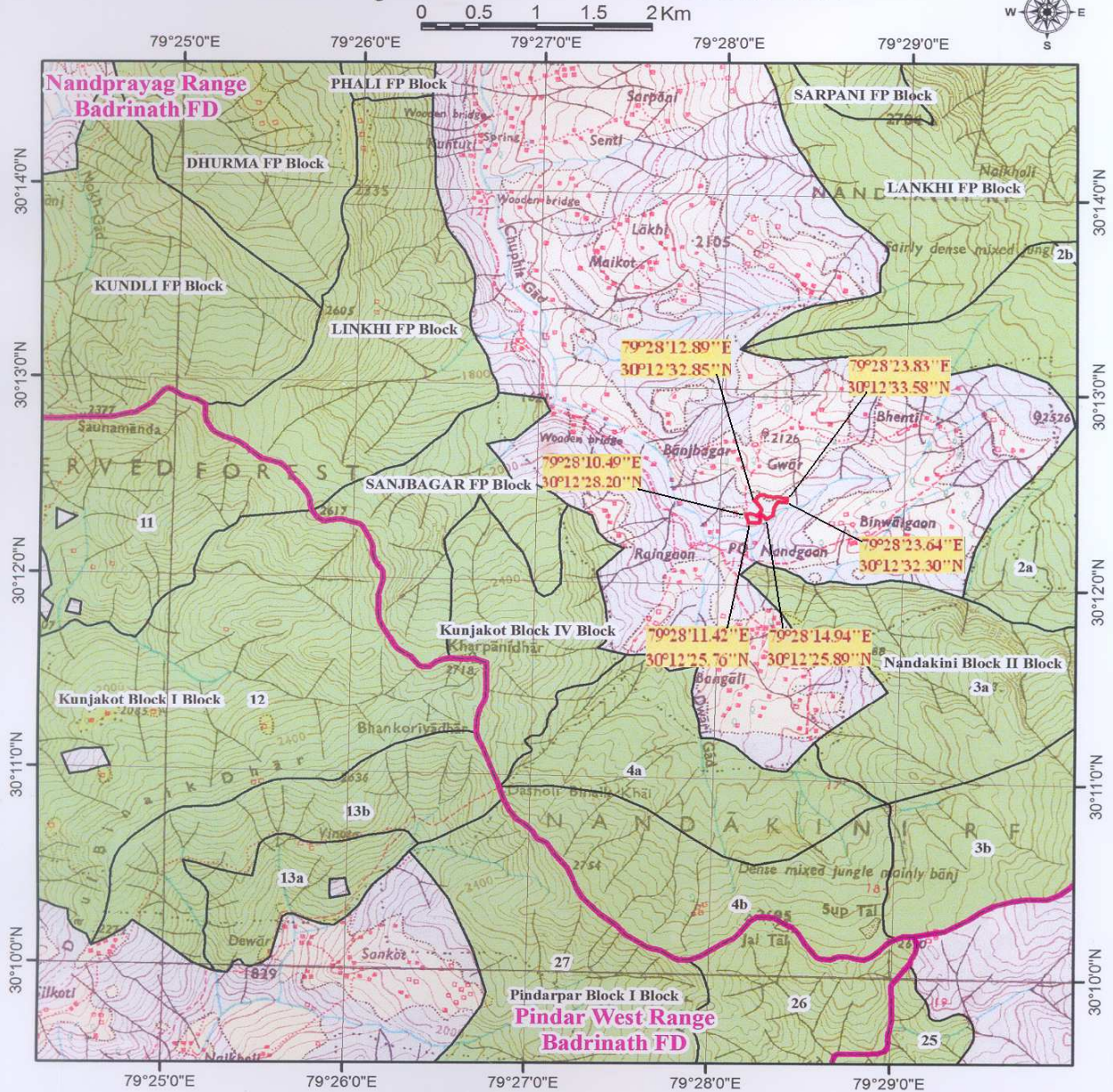
दिनांक 15-11-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत स्यारी बाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री हुकम सिंह	हुकम सिंह
2	श्री पुरन सिंह	पुरन सिंह
3	श्री प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
4	श्री श्रीपादा सिंह	श्रीपादा सिंह
5	11 सारे-डासिंह (अप्रधान)	सारे-डासिंह
6	11 रामसिंह	राम सिंह
7	11 ब्रह्मपाल सिंह 5/10 श्री नारायण सिंह	Narayan Singh
8	11 ब्रह्मपाल सिंह 5/10 श्री लालकान्त सिंह	Lal Kant Singh
9	11 लक्ष्मण सिंह 5/10 श्री नारायण सिंह	Narayan Singh
10	11 दशन सिंह 5/10 श्री गवर सिंह	Gavir Singh
(11)	11 सुरेंद्र सिंह 5/10 श्री प्रेम सिंह	Prem Singh
(12)	11 जय सिंह 5/10 श्री लिलाप सिंह	Lilap Singh
(13)	11 भद-द सिंह 5/10 श्री लिलाप सिंह	Lilap Singh
(14)	11 बिन्दु सिंह 5/10 श्री गवर सिंह	Gavir Singh
(15)	11 गवर सिंह 5/10 श्री लिलाप सिंह	Lilap Singh
(16)	आलीदा देवी	आलीदा देवी
(17)	सती देवी	सती देवी
(18)	विमला देवी	विमला देवी



डिजिटल मैप-जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल बंगाली स्यारी सिविल सोयम



Legend

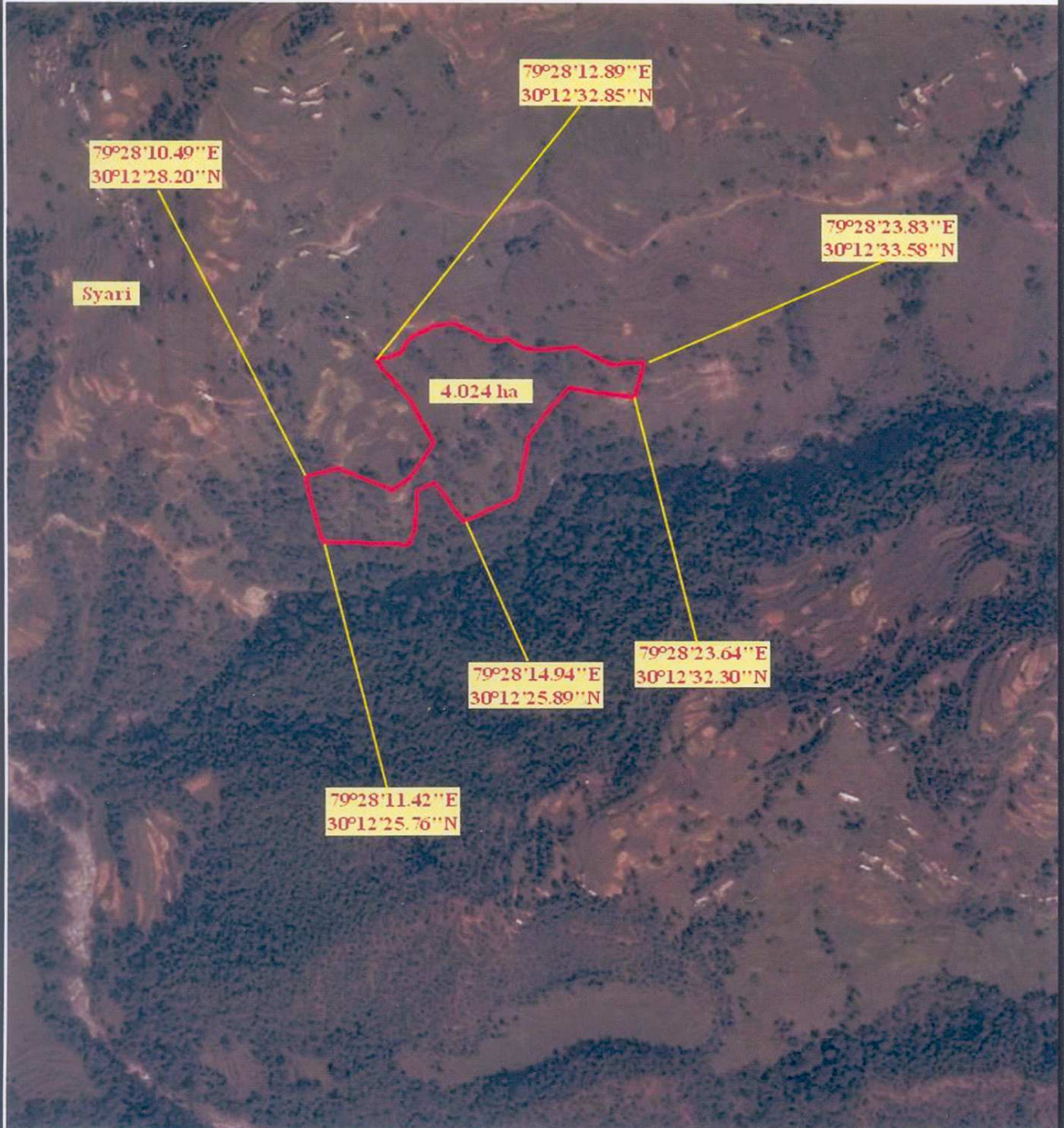
- Proposed Plantation Bangali Civil 4.024 ha
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

ME

अधिसूची अभियन्ता
प्रमोद कुमार, जे. ए. सि. डि.
कर्मचारी (चमोली)

प्रभागीय अधिकारी
ब्रज यादव शाह
बोर्डर (चमोली)

डिजिटल मैप—जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 0 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल बंगाली स्यारी सिविल सोयम



Legend

Proposed Plantation Land Tharti Civil

Signature
ME

अधिकांश अधिकृत
प्रशासनिक, ले. वि.
कर्मचारी (चमोली)

प्रभागीय तनाधिकारी
बद्राज च वन भा.
बोम्बे (चमोली)

ग्रामिण के ग्रामिण होने का मापदण्ड

क्र.सं.	खसरा	रकबा	खसरा नं.	ग्रामिण का नाम
1-7	1857	0.028	7	कुला सिंह, राम सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह
2-7	1858	0.20	7	"
3-7	1993	0.28	51	रघुवीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह
4-7	1994	0.064	51	"
5-7	1983	0.030	36	नचन सिंह पुत्र लक्ष्मी देवी
6-7	2079	0.030	36	"
7-7	2080	0.011	62	त्रिलोक सिंह पुत्र लाल सिंह
8-7	2082	0.006	13	राम सिंह, कुल सिंह पुत्र महीन-4
9-7	2083	0.009	13	"
10-7	2084	0.030	13	"
11-7	2099	0.018	62	त्रिलोक सिंह पुत्र लाल सिंह
12-7	2114	0.050	40	लालक सिंह किशन सिंह पुत्र शमसिंह
13-7	2115	0.068	40	"
14	2116	0.054	61	महोदय सिंह पुत्र शालमसिंह
15-7	1986	0.011	36	नचन सिंह लक्ष्मी पुत्र लक्ष्मी देवी
16-7	1987	0.013	36	"
17-7	1988	0.011	36	"
18-7	1953	0.009	60	सीमती लक्ष्मी पुत्री दिवानी
19-7	1954	0.010	60	"
20-7	1955	0.010	60	"
21-7	1962	0.025	5	मन सिंह उदे सिंह पुत्र नैन सिंह
22-7	1961	0.030	7	कुल सिंह पुत्र नैन सिंह
23-7	2148	0.055	61	महीन सिंह पुत्र लाल सिंह
24-7	2152	0.018	17	मन सिंह पुत्र सोहन सिंह
25-7	2153	0.032	12	रामा सिंह पुत्र केदार सिंह
26-7	2154	0.015	12	"

मापदण्ड किता जाता है कि उक्त ग्रामिण ही उपरोक्त ग्राम का मालिक है जो ग्राम सचिव निर्धारित हेतु सत्यापन में आ रही है

/s/ रा. उ. 10
शे

ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ

ਫ.ਸ.	ਲਾਗੂ ਨੰ.	ਦਰਜਾ	ਲਾਗੂ ਨੰ.	ਪੰਨਾ ਨੰ
27	2155	0.038	40	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
28	2156	0.036	17	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
29	2157	0.010	40	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
30	2158	0.016	01	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
31	2268	0.014	5	ਪੰਨਾ ਨੰ, ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
32	2269	0.035	5	11
33	2271	0.030	36	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
34	2272	0.020	36	11
35	2233	0.029	7	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
36	2334	0.055	7	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
37	2335	0.014	34	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
38	2346	0.55	30	11
39	2358	0.030	5	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
40	2359	0.035	5	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
41	2357	0.03	34	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
42	2361	0.011	7	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
43	2362	0.036	7	11
44	2354	0.050	5	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
45	2367	0.036	34	ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ
46	2369	0.035	34	11

ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ ਪੰਨਾ ਨੰ

ਪੰਨਾ ਨੰ

भूमिधर एवं प्रयोक्त एजेन्सी के बीच करार

हम समस्त ग्रामवासियों / खातेदार ग्राम बंगाली वाले यह लिखकर दे देते हैं कि हमारे गाँव में नव निर्मित सड़क जो लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग द्वारा बनाई जा रही है हम खातेदार सड़क बनाने के लिए जिन-जिन कास्तकारों के नाप खेत उक्त सड़क निर्माण कार्य में कटेंगे। उस भूमि को हम सरकारी दरों पर लो० नि० वि० कर्णप्रयाग को देने को तैयार हैं। किसी भी खातेदारों को जमीन देने में कोई आपत्ति नहीं है।

1. अश्वि सिंह ४० नारायण सिंह
2. राजेश सिंह ४० नारायण सिंह
3. अश्वि सिंह ४० शिव सिंह
4. काभल सिंह ४० शिव सिंह
5. गज सिंह ४० राय सिंह
6. चुचरी देवी ५० मोहन सिंह
7. पुष्कर सिंह ४० श्रीप्र सिंह
8. अमल सिंह ४० जल्लर सिंह
9. नलकल सिंह ४० जल्लर सिंह
10. अरेल सिंह ४० धन सिंह
11. पुष्कर सिंह ४० धन सिंह
12. लक्ष्मण सिंह ४० शिवराज सिंह
13. अताब ४० मैन सिंह
14. फतेह सिंह ४० - शिवराज सिंह
15. किरण सिंह ४० अंवर सिंह
16. काभल सिंह ४० अंवर सिंह
17. काभल सिंह ४० अंवर सिंह
18. मोहन सिंह ४० जशन सिंह
19. रामा सिंह ४० जशन सिंह
20. कुलप सिंह ४० नारायण सिंह

394 सिंह

R. S. Singh

क. ल. सिंह

Kamlesh

Prayag

चुचरी देवी

पुष्कर सिंह

जल्लर सिंह

अरेल सिंह

धन सिंह

अंवर सिंह

शिवराज सिंह

मैन सिंह

शिवराज सिंह

अंवर सिंह

अंवर सिंह

जशन सिंह

जशन सिंह

नारायण सिंह



Justification

Name of The Project : Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikan ka karya k.m. (9 to 12)

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Bangali have to walk through a distance of 3.5 to 4 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

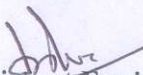
The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

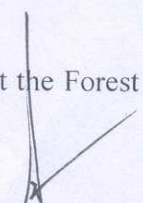
Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.
- 9- Suptaal (Pound) is near to the village, so the village will develop as a tourist place.
- 10- Many species of wood trees found in the village so village will develop as a supplier of wood to the wood industries.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 2.012 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendry places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 2.012 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag

प्रेक्षक-

आयुक्त,
महिला भाग्य,
पौड़ी-गढ़वाल।

प्रेक्षित-

मुख्य अभियन्ता गढ़वाल-क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी-गढ़वाल।

पत्रांक- 2117/24-24 (42-44)

दिनांक: 24-9-99

विषय:- गढ़वाल-क्षेत्र के जनपद टिहरी-गढ़वाल, धमोली, व रुद्रप्रयाग के लिये जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में मार्ग एवं रोडों के लिये लोक निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग से प्राप्त आगमनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश संख्या-20894/2300/निओ-11-94/99, दिनांक 7-5-99 में प्राविष्टानों के अन्तर्गत गढ़वाल-क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग हेतु जिला योजना में आबंटित परिचय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत मार्ग एवं रोड कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकारीमण्डलागुहों को दिया गया है। इस परिपेक्ष में जनपद टिहरी-गढ़वाल हेतु अनुमोदित ₹0 421.50 लाख जनपद धमोली हेतु अनुमोदित ₹0 238.40 लाख तथा जनपद रुद्रप्रयाग हेतु अनुमोदित ₹0 83.80 लाख के प्रस्तावों पर कुल लागत ₹0 743.70 लाख रुपये सात करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार मात्र की वर्ष 1999-2000 के नये कार्यों के प्रस्तावों पर की गयी संस्तुति के अनुसार संलग्न जनपदवार कार्यों की सूची पर एतद्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान की जाती है।

शासनादेश संख्या-3500/28-5-99-89/99, दिनांक 30-8-1999 द्वारा वर्ष 1999-2000 में उत्तरांचल क्षेत्र की जिला योजना के नये कार्यों हेतु जनपदवार फंड की सीमा तब तक सड़क/रोड कार्यों पर वर्ष 1999-2000 हेतु

जनपद टिहरी-गढ़वाल को ₹0 63.67 लाख रुपये तिरसठ लाख सड़क/रोड हजार मात्र जनपद धमोली को ₹0 43.10 लाख रुपये सैंतालीस लाख सड़क/रोड हजार मात्र तथा जनपद रुद्रप्रयाग को ₹0 24.50 लाख रुपये धौबीस लाख पचास हजार मात्र अधारित कुल ₹0 131.30 लाख रुपये एक करोड़ सैंतालीस लाख तीस हजार मात्र की पारदर्शिता आबंटित करते हुये व्यय किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। जनपदवार व्यय हेतु स्वीकृति की गयी पारदर्शिता का संलग्न सूची के अनुसार कार्यवाह आबंटन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल-क्षेत्र लो.नि.वि.ओ, पौड़ी द्वारा कर सुनिश्चित किया जायेगा।

उ- कार्य तब तक आरम्भ न किये जाय एवं उन पर न कोई व्यय किया जाय और न उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का वित्तीय बाधका की किया जाय, जब तक कि प्रसंगत कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत आगमन/नवरी आदि पर तत्काल अधिाकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

सत्यप्रतिनिधि

...2...

[illegible]

5- उपर्युक्त स्वीकृति के पत्रस्वरूप धीमे वाला व्यय वर्ष 1999-2000 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-95 के लेखाश्रीपत्र-455, पहाड़ी क्षेत्रों पर पूर्वीय परियोजना-60 अन्व पहाड़ी क्षेत्र-169 सहित समस्त सेबु-03-संकेत-0302-जिला सेक्टर-24-गृह निर्माण कार्य -04-सुल-0402-जिला सेक्टर-24 गृह निर्माण कार्य के नामे बाला जायेगा तथा अगूरक अनुदान संख्या 1999 द्वारा व्यवस्थापित पारराशि से भुगतान किया जायेगा।

6- शासनादेश संख्या-2089ई/23-जो 01न0-11-9ई/99, दिनांक 7-5-1999 में निम्नलिखित प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता महाराष्ट्र कोटनॉयि0, पंजी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित आदेशों की प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाएंगी, ताकि बजट नियुक्त के पैरा 94 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से औपचारिक अनुवीक्षण प्राप्त कर कार्योत्तर स्वीकृति की वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित विभाग की सक्षमता से निर्मित की जा सके।

7- विज्ञान योजना के अन्तर्गत उपसाधन आवंटन का उपयोग इसी विधिविध तर्कों में मुनिषिषित विज्ञान ज्ञान तथा समय को आवंटित प्रावराशिया की सीमा तक ही सीमित रहता है।

8- उपर्युक्त आदेशा निरत विभाग की अधीनस्थ-आईसीएफओ-
1-45/सत-99, दिनांक 6-5-1999 एवं अधीनस्थ-आईसीएफओ-1011/
सत-ई-4/99, दिनांक 25-5-99 में प्राप्त उनकी रायमति से निरत किये जा
रहे हैं।

संज्ञाः - यथापेक्षितम् ।

जनसुख विहारी-गङ्गाधर
समोली नृ प्रसाधन की
योजनानी की लागत रहित
रुपये।

भावदीय,

५३ बी. एम. लो एरा ४
आइ. ए. एस.

मध्यम ^{अ. ५. १३} मण्डल, पौड़ी।

पञ्चमः

समस्तः प्रजापतिः ।

प्रतिष्ठित विमर्शविशिष्ट को सुवर्णार्णव एवं वाचस्पति का प्रसारण

[illegible]

संयोजकलिपि

सहायक अभियन्ता

संख्या- 764 / 111 (2) / 08-65 (प्र. 10 अ. 10) / 2007

श्री दीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

तत्काल
श्रीमती निवा
27/03/08

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008
लोक निर्माण अनुभाग-2
विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य योजना के अन्तर्गत 181 कार्यों के निर्माण की प्रशासकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / अल्मोड़ा एवं आपके द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये आगणनों के संदर्भ में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 181 कार्यों के आगणन लागत रु० 22496.12 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणों परान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 22219.77 लाख (रुपये दो सौ बाईस करोड़ उन्नीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित रु० 0.05 लाख विवरणानुसार कुल रु० 9.05 लाख (रुपये नौ लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा वास्तविक भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं गिजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि की भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर लिया जाय और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य गजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दश/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकता अनुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. उक्त कार्य पर इसके किसी भाग हेतु यदि इसके पूरे विभाग या अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस धनराशि का आहरण न करके शासन को सूचित कर उसे समर्पित कर दी जाय।

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि.
वर्णप्रयाग

-2-

क्रम संख्या 651-
प्राप्ति तिथि 1-4-08

11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा धनराशि को प्रयोग में लाया जाय।
12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
13. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के निर्माण तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशोधक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा शहरी सड़कें-आयोजनागत-800 व्यय-03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-388/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी राहबति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-181 कार्यो की सूची।

मुवदीय,
प्रदीप सिंह रायत
(प्रदीप सिंह रायत)
उप सचिव।

संख्या-764- (1)/11-2/08 तददिनांक 11/2/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल पोडी / नैनीताल।
3. रामस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोनिवि, पोडी / अ.मोडा।
5. परिषद कोषाधिकारी, देहरादून।
6. रामस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय युवा केंद्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

प्रति

प्राप्त संख्या-12/1/2008-1/08 दिनांक 13/08

प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड, शासनादेश, संख्या-764- (1)/11-2/08

लोनिवि, उत्तराखण्ड, शासनादेश, संख्या-764- (1)/11-2/08

प्रतिनिधि - उत्तराखण्ड

प्रतिनिधि - उत्तराखण्ड, शासनादेश, संख्या-764- (1)/11-2/08

आज्ञा से,
प्रदीप सिंह रायत
(प्रदीप सिंह रायत)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोनिवि
कर्णप्रयाग

पञ्चावलि

अधीक्षण अभियन्ता

சான்றிதழ்

सत्यप्रतिष्ठिपि
०७/७/२०१०
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय सण्ड लो.नि.
वर्णप्रयाग

मुख्य अभियन्ता
लोह निर्माण विभाग, उत्तरांचल
राज्य-248 001

[illegible]

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 30.9.2008 को प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग (एजेन्सी का नाम) के द्वारा बांजबगड-तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग ओर से श्री भीमसिंह रावत व.द. राजस्व विभाग की ओर से श्री पुरुषोत्तम गुसाई-रा.उप निरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री डी.सी.पाण्डे, बीरेन्द्र सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता/ श्री मनवर सिंह चौहान अमीन अन्य दावेदारों की ओर से श्री दिनेश सिंह तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती दीपा देवी के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखणों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता परिस्थिति आवश्यकता आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखण /स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1125 (मी.) नाप भूमि से 535 (मी.) सिविल भूमि 2340 (मी.) वन पंचायत से.....नहीं.....(मी.) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण /स्थल के चयन में कुल - हे. नाप भूमि 0.788 हे. 0.374 हे. सिविल भूमि 1.638 हे. वन पंचायत भूमि.....शून्य.....हे. आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.012 हे. भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर / चुने गये स्थल पर लगभग 260 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 133 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1200(मी.) नाप भूमि से 850 (मी.)सिविल भूमि से 2450(मी.) वन पंचायत सेशून्य.....(मी.)आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन में कुल 0.840 हे. नाप भूमि 0.595 सिविल भूमि 1.715 हे. वन पंचायत भूमिशून्य.....हे. आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें कुल 2.310 हे. भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी इस समरेखण पर / चुने गये स्थल पर लगभग 340 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से अधिकतर बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/ समरेखण आरक्षित वनशून्य.....कक्षों से गुजरगा/मै स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन.....शून्य..... है एवं इन कक्षों मेंशून्य.....प्रजाति के वन है। प्रभावित होने वाली नाप भूमि.....शून्य.....परशून्य.....प्रजाति के वन है एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि परशून्य.....प्रजाति के वन है जिनका वर्तमान वन आच्छादन.....शून्य.....है। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान $79^{\circ} 27'51.70'' E, 30^{\circ} 11'57.10'' N$ है तथा स्थल तेलान कि.मी. 8 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल तल्ला बंगाली है जिसका GPS मान $79^{\circ} 28' 7.90'' E, 30^{\circ} 11' 40.60'' N$ है। चुने गये समरेखण /स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान $78^{\circ} 16' 30.16'' E, 30^{\circ} 12' 2.52'' N, 79^{\circ} 27' 57.91'' E, 30^{\circ} 12' 1' .37'' N, 79^{\circ} 27' 55.60'' E, 30^{\circ} 11' 47.00'' N, 79^{\circ} 27' 58.50'' E, 30^{\circ} 11' 57.70'' N, 79^{\circ} 28' 2.40'' E, 30^{\circ} 11' 57.00'' N, 79^{\circ} 28' 7.95'' E, 30^{\circ} 11' 55.93'' N$ है।

चयनित समरेखण में कुलशून्य.....पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/ समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/ नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/ नहीं होगा।

इस समरेखण पर झूला पुल के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु भूमि स्थल उपयुक्त पाये गये हैं,

जिनका GPS मान $N 30^{\circ}12'01.2'' E 79^{\circ}27'52.6'' N 30^{\circ}11'53.2'' E 79^{\circ}27'56.3'' N 30^{\circ}11'53.1'' E 79^{\circ}27'56.3'' N 30^{\circ}11'54.3'' E 79^{\circ}27'57.1'' N 30^{\circ}11'45.9'' E 79^{\circ}28'02.6'' N 30^{\circ}11'50.5'' E 79^{\circ}28'04.2'' N 30^{\circ}11'50.1'' E 79^{\circ}28'07.1''$ अन्य आवश्यक विवरण मार्ग निर्माण में न्यूनतम सिविल भूमि ली गई है, इस प्रस्तावित वन क्षेत्र में 300 वृक्ष प्रभावित

हो रहे हैं, तथा निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे का निस्तारण मार्ग निर्माण के समय उपयोग किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

प्रधानीय अधिकारी
बोर्डर (वनोक्ता)

Performa for comparison between identified alignments Page 1 of 4

Name of work :- Construction of Road to Connect Banjhabad telan motor marg ke k.m. 9 ka motor marg mai parivartan Damrikan ka karya k.m. (9 to 12)

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2																																																																																		
1	2	3	4																																																																																		
1	Topography	Mountainous, start from Ghat Banjhabad Telan Motor Road Km 8 (Hm 0-2)	Mountainous, start from Ghat Banjhabad Telan Motor Road Km 8 (Hm 0-2)																																																																																		
2	Length of Road	4km	4.7km																																																																																		
3	Bridging requirement No. and Length	Nil	Nil																																																																																		
4	Geometric																																																																																				
	(a) Gradients	1:20 1:18, 1:24 & 1:18:1:40	1:20, 1:18 & 1:24 1:40																																																																																		
	(b) Curves, H.P Bends	08 Numbers of HP Bands	10 Numbers of HP Bands																																																																																		
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Mule Path & Foot Tracks	Mule Path & Foot Tracks																																																																																		
6	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments of other important structures along this alignment.	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments of other important structures along this alignment.																																																																																		
7	Terrain & Soil Condition																																																																																				
	(i) Nature of soil	(i) The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Roack, Hard Rock & Very Hard Rock	(i) The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Roack, Hard Rock & Very Hard Rock																																																																																		
	(ii) Cliffs and gorges.	(ii) None	(ii) None																																																																																		
	(iii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding	(iii) The Natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptibility to flooding	(iii) The Natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptibility to flooding																																																																																		
	(vi) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends	(iv) The elevation at the starting point of the road is m and the elevation at the end point of the road is m. Thus the road achieves a height of m.	(iv) The elevation at the starting point of the road is m and the elevation at the end point of the road is m. Thus the road achieves a height of m.																																																																																		
	(v) Variations extants and types	Nil	Nil																																																																																		
8	Climate Condition																																																																																				
	(a) Temperature Monthly max. & min. reading.	(a) Temperature Monthly max. & Min. reading.	(a) Temperature Monthly max. & Min. reading.																																																																																		
		<table><tr><th rowspan="2">Month</th><th colspan="2">Temperature (in</th></tr><tr><th>Max.</th><th>Min.</th></tr><tr><td>January</td><td>7</td><td>-1</td></tr><tr><td>February</td><td>17</td><td>4</td></tr><tr><td>March</td><td>28</td><td>5</td></tr><tr><td>April</td><td>30</td><td>7</td></tr><tr><td>May</td><td>35</td><td>9</td></tr><tr><td>June</td><td>36</td><td>14</td></tr><tr><td>July</td><td>32</td><td>15</td></tr><tr><td>August</td><td>22</td><td>13</td></tr><tr><td>September</td><td>18</td><td>10</td></tr><tr><td>October</td><td>12</td><td>6</td></tr><tr><td>November</td><td>10</td><td>3</td></tr><tr><td>December</td><td>8</td><td>-1</td></tr></table>	Month	Temperature (in		Max.	Min.	January	7	-1	February	17	4	March	28	5	April	30	7	May	35	9	June	36	14	July	32	15	August	22	13	September	18	10	October	12	6	November	10	3	December	8	-1	<table><tr><th rowspan="2">Month</th><th colspan="2">Temperature (in °C)</th></tr><tr><th>Max.</th><th>Min.</th></tr><tr><td>January</td><td>7</td><td>-1</td></tr><tr><td>February</td><td>17</td><td>5</td></tr><tr><td>March</td><td>27</td><td>6</td></tr><tr><td>April</td><td>29</td><td>8</td></tr><tr><td>May</td><td>34</td><td>9</td></tr><tr><td>June</td><td>35</td><td>14</td></tr><tr><td>July</td><td>32</td><td>15</td></tr><tr><td>August</td><td>28</td><td>12</td></tr><tr><td>September</td><td>24</td><td>9</td></tr><tr><td>October</td><td>16</td><td>6</td></tr><tr><td>November</td><td>13</td><td>2</td></tr><tr><td>December</td><td>10</td><td>-1</td></tr></table>	Month	Temperature (in °C)		Max.	Min.	January	7	-1	February	17	5	March	27	6	April	29	8	May	34	9	June	35	14	July	32	15	August	28	12	September	24	9	October	16	6	November	13	2	December	10	-1
Month	Temperature (in																																																																																				
	Max.	Min.																																																																																			
January	7	-1																																																																																			
February	17	4																																																																																			
March	28	5																																																																																			
April	30	7																																																																																			
May	35	9																																																																																			
June	36	14																																																																																			
July	32	15																																																																																			
August	22	13																																																																																			
September	18	10																																																																																			
October	12	6																																																																																			
November	10	3																																																																																			
December	8	-1																																																																																			
Month	Temperature (in °C)																																																																																				
	Max.	Min.																																																																																			
January	7	-1																																																																																			
February	17	5																																																																																			
March	27	6																																																																																			
April	29	8																																																																																			
May	34	9																																																																																			
June	35	14																																																																																			
July	32	15																																																																																			
August	28	12																																																																																			
September	24	9																																																																																			
October	16	6																																																																																			
November	13	2																																																																																			
December	10	-1																																																																																			

Performa for comparison between identified alignments

Page 2 of 4

Name of work :- Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikan ka karya k.m. (9 to 12)

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	2	3	4
	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution
		Month	Average Rainfall data (in mm)
		January	60
		February	35
		March	32
		April	22
		May	20
		June	161
		July	350
		August	305
		September	210
		October	90
		November	7
		December	40
	(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)	(c) Snowfall fall data average annual peak intensities monthly distribution	(c) Snowfall fall data average annual peak intensities monthly distribution
		Month	Average Snowfall data (in mm)
		January	150
		February	50
		March	-
		April	-
		May	-
		June	-
		July	-
		August	-
		September	-
		October	-
		November	-
		December	110
	(d) Wind direction and velocities.	(d) Not Available	(d) Not Available
	(e) Fog Condition	(e) Nil	(e) Nil
	(f) Exposure to sun	(f) The site is exposed to sun throughout the year.	(f) The site is exposed to sun throughout the year. Except 2 to 3 Months.
	(g) Unusual weather condition like cloud burst etc	(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.

Performa for comparison between identified alignments

Page 3 of 4

Name of work :- Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikan ka karya k.m. (9 to 12)

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	2	3	4
9	Facilities resources.		
	(a) Landing ground.	(a) None	(a) None
	(b) Dropping Zone.	(b) None	(b) None
	(c) Food stuffs.	(c) Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc	(c) Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc
	(d) Labour local availability and need for import.	(d) Local labour is available for costruction work.	(d) Local labour is available for costruction work.
	(e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved	(e) Stone require for the costruction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting, However, Sand requiried for the construction work shall be procured from the approved quarry.	(e) Stone require for the costruction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting, However, Sand requiried for the construction work shall be procured from the approved quarry.
10	Value of land, agricultural land, Irrigated land, bult up land, forest land etc,	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under- As per current Govt. Rate	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under- As per current Govt. Rate
11	Approximate Const. Cost.	Rs. 138.60 Lacs	Rs. 150 Lacs
12	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Access point available for induction of equipment	Access point available for induction of equipment
13	Period required for construction.	9 Months	15 Months
14	Strategic Consideration.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment/ Machinery shall be made for completion of the project.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment/ Machinery shall be made for completion of the project.
15	Important villages, towns and markets centers to be connected.	The road shall provide connectivity to village Bangali with a population of 1101numbers.	The road shall provide connectivity to village Bangali with a population of 1101 numbers.
16	Recreational potential.	Nil	Nil
17	Economic Factors:		
	(a) Population served by the alignment.	Numbers (Gen.-1101, SC-,0 ST-0)	(a) Numbers (Gen.-1101, SC-0 ST-0)
	(b) Agricultures and economic potential of the area.	(b) Transporation lof the cultivated crops by mechanical means (i.e. through road) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.	(b) Transporation lof the cultivated crops by mechanical means (i.e. through road) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.
18	other major development projects being taken up electric projects etc.	None	None
19	(i) Misc. Such as camping sites	(i) Nil	(i) Nil

Performa for comparison between identified alignments

Page 4 of 4

Name of work :- Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikan ka karya k.m. (9 to 12)

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	2	3	4
	(ii) Law and other problem	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the local administration takes care of such matters.	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the local administration takes care of such matters.
	(iii) Royalty	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	(iv) Available	(iv) Available
	(v) working period available for construction of work.	(v) 09 Months	(v) 07 Months
20	Total No. of trees to be removed .	133 Numbers 260 (OAK 133)	340 248 Approximately 145 Numbers (OAK 145)
21	Average Density of forest cover .	0.2 (Dense Forest)	0.22 (Dense Forest)
22	Total No. of Merits	10	8
23	Total No. of Demerits	3	8

RECOMMENDATIONS :

Alignment no.-1 is recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

[Signature]
ME

अधिकांश प्रकल्प प्रमुख (समालोचक)

प्रभातीन प्रमुख (समालोचक)

- परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि में अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित ²⁰¹² हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पटवारी क्षेत्र

तहसीलदार

सुपजिलाधिकारी
चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
सुपजिलाधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली

महोदय

जिला अधिकारी
चमोली

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
चमोली

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकवा	याचित क्षेत्रफल (हे०)
चमोली	चमोली	घाट	सिविल श्रमि ९७०	०.३७५	०.३७५ हे०
—	—	—	वन पंचायती श्रमि १८७०	१.६३८ हे०	१.६३८ हे०
			योग		२.०१२ हे०

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पटवारी क्षेत्र

तहसीलदार

जिलाधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली

प्रतिष्ठित
जिलाधिकारी
चमोली

(67)

सिविल श्रमि के प्रस्ताव -

कार्य का नाम - घाट - बजवगड - वैलाण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल श्रमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में
 ग्राम - स्यारी (विंगोली) पट्टी - नन्दाक परगना - बघाण उपखण्ड - घाटवरी - जिला - चम्पावी

क्र.सं.	खसरा नं०	कुल रकबा	किमा रकबा	खाता नं०	नाम - श्रमिधार	शेरभुजवा		विवरण
						कमराजि	रकबा	
1	19393	3.009	0.060 0.089	17	उ० सी०	श्रीटा	0.060 0.089	
2	19563	0.196	0.055 0.072	17	— " —	— " —	0.055 0.072	
3	19603	0.029	0.015	17	— " —	— " —	0.015	
4	19643	1.088	0.055 0.072	5	— " —	झाड़ी	0.055 0.072	
5	19813		0.014	7	— " —	खैर	0.014	
6	20813		0.040 0.054	7	— " —	— " —	0.040 0.054	
	22293	0.291	0.040 0.070	6	— " —	गोबर	0.040 0.070	
	22743	0.079	0.015	6	— " —	— " —	0.015	
	21663	1.056	0.080 0.126	6	— " —	— " —	0.080 0.126	
योग -		0.528 0.374			585मी 335मी		0.527 0.374	

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता
 लो० नि० वि० लो० नि० वि० लो० नि० वि० लो० नि० वि०
 काठियावाड़ काठियावाड़ काठियावाड़ काठियावाड़

पटवारी नन्दाक परगना चम्पावी
 घाटवरी नन्दाक परगना चम्पावी

2.6(c)

कमपंचायती भूमि के प्रस्ताव

(60)

कार्यकानाम - घाट - बाजसगड़ - लेलान मोटर मार्ग निर्माण हेतु ~~सर्विले~~ भूमि हस्तान्तरण के सम्बंध में, कि० १-१२

ग्राम - रूयारी (बंगाली) पट्टी नम्बर कराना बंधाण उपतहसील घाट तहसील जिला - चम्पारण

क्र.सं.	खसरा नं०	कि० रकबा	विशेष रकबा	खता नं०	नाम भूमिधर	गैर मजसुबा		विवरण
						कराजि	रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18565	1.544	0.370 0.416	6	30 सो	गौनर	0.370 0.416	
2	1857	0.005	0.005	7	— " —	वंगर	0.005	
3	1858	0.010	0.010	7	— " —	— " —	0.010	
4	18595	0.014	0.005	7	— " —	— " —	0.005	
5	18605	0.016	0.003	7	— " —	— " —	0.003	
6	1864	0.015	0.015	7	— " —	— " —	0.015	
7	18655	0.016	0.006	7	— " —	— " —	0.006	
8	1866		0.130 0.130	7	— " —	— " —	0.130 0.130	
9	1867	1.088	0.060 0.090	5	— " —	झाडी	0.060	
10	19365	0.775	0.010	4	— " —	जंगल	0.010	
11	19375	0.138	0.025	7	— " —	वंगर	0.025	
12	19925		0.090	7	— " —	— " —	0.090	
14	21675	1.258	0.100 0.172	6	— " —	गौनर	0.100 0.172	
15	22755	3.069	0.356 0.446	7	— " —	वंगर	0.356 0.446	
16	22765	1.131	0.250 0.374	7	— " —	— " —	0.250 0.374	
17	22425	0.617	0.102 0.162	7	— " —	— " —	0.102 0.162	
18	23415	0.596	0.100 0.117	7	— " —	— " —	0.100 0.117	

योग 2.1630 हे० 2340 नं० 2.1630 हे०

अग्रान - अनिष्ट अभियन्ता सहायक अभियन्ता आधिशाली अभि० पटवारी सम्बन्धित/उपाजिम्दार

लो०/सि०/वि० लो०/सि०/वि० लो०/सि०/वि० लो०/सि०/वि० लो०/सि०/वि० लो०/सि०/वि०

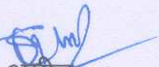
कहा प्रयाग कहा प्रयाग कहा प्रयाग कहा प्रयाग कहा प्रयाग कहा प्रयाग

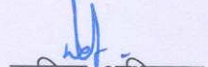
परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में बांजबगड—तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई—चौड़ाई का प्रमाण—पत्र।

प्रस्तावित सिविल / वन पंचायती वन भूमि की लम्बाई 2875 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर कुल 20120 वर्ग मीटर अर्थात् 2.012 हे० है।

वन पंचायती भूमि—	2340 मी. X 7 मी.	=	1.638 हे.
सिविल भूमि—	535 मी. X 7 मी.	=	0.374 हे
नाप भूमि—	1125 मी. X 7 मी.	=	0.788 हे
<u>योग:-</u>			<u>2.80० हे०</u>


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना:-

1- परियोजना का नाम:- बांजबगड़ तेलान मोटर के 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य।

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम :-

3- क्षेत्रफल :- $2.012 \text{ है०} \times 2 = 4.024 \text{ है०}$

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 8048

5- रोपित किये जाने वाली प्रजातियां:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य:-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.024		78.00	313.87
2	स्थल की सफाई कार्य	4.024		2543.00	10233.00
3	दीवालबन्दी कार्य/फैन्सिंग (150 मी०प्र०है० = 81 घ०मी०)	4.024		15309.00	61603.41
4	गढढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेंखाकन चूना सहित	8048		5.09	40964.32
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गढढा	8048		19.00	3822.80
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	8048		4.30	34606.40
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य				
	1- वानस्पतिक चैकडैम :- $8 \times 4580 = 36700.00$	4.024		6240.00	25109.76
	2- स्टोन चैकडैम :- $5 \times 5140 = 25700.00$				
	योग:- 62400.00				176653.56
8	निरीक्षण बटिया बनाना:-	4.024		624.00	2510.97
	योग प्रथम चरण:-				179164.53
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य:-				
1	झाडी कटान (लैण्टाना गाजर घास/काला बांस)	4.024		1287	5178.88
2	गढढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	8048		0.97	7806.56
3	पौध दुलान कार्य	8048		6.00	48288.00
4	पौध रोपण कार्य	8048		1.89	15210.72
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई मलचिंग कार्य	8048		1.29	10381.92
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई मलचिंग कार्य	8048		1.11	8933.28
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	8048		1.20	9657.60
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 7 माह	4.024		468.00	13182.62
9	साईन बोर्ड आदि क्रय	L.S		-	5000
	योग द्वितीय चरण:-				123639.58
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष चरण:-				302804.11

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है०:-				
1	पौधों की लागत	805		5.50	4427.50
2	पौध डुलान कार्य	805		6.00	4830.00
3	पुनः गढ़वा खोदना एवं रोपण कार्य	805		3.20	2576.00
4	गढ़वों में गोबर खाद डालना लागत सहित	805		1.33	1070.65
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	805		1.11	893.55
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह) 1 वर्ष	4.024		468.00	13182.00
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग तृतीय चरण:-				27479.70
	चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	4.024		468.00	13182.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य				500.00
	योग चतुर्थ चरण:-				13682.00
	पंचम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	4.024		468.00	13182.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य				500.00
	योग पंचम चरण:-				13682.00
	षष्ठम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	4.024		468.00	13182.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य				500.00
	योग षष्ठम चरण:-				13682.00
	सप्तम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	4.024		468.00	13182.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य				500.00
	योग सप्तम चरण:-				13682.00
	अष्टम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	4.024		468.00	13182.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य				500.00
	योग अष्टम चरण:-				13682.00
	नवम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	4.024		468.00	13182.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य				500.00
	योग नवम चरण:-				13682.00
	दसम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	4.024		468.00	13182.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य				500.00
	योग दसम चरण:-				13682.00
	कुल योग तृतीय चरण से दसम चरण तक:-				123253.70
	महायोग:-				426057.81

प्रभाजीय सजाधिकारी

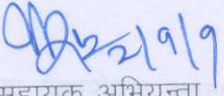
बद्रोनाथ वन अभाग
गोपेश्वर (चमोली)

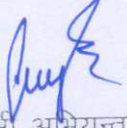
ई०, एफ०/भा० वि० अनुसूचा
कॉलेज, ब० १०, ११/१२/२०२२

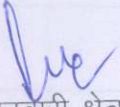
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत बांजबगड-तेलान मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल भूमि का चयन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम स्यांरी सिविल में किया गया है, वह वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

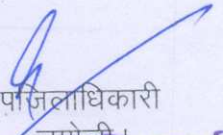

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग


पटवारी क्षेत्र
घाट,


तहसीलदार
चमोली
उप तहसील घाट
तहसील एवं जिला चमोली


उप जिलाधिकारी
चमोली
(सदर)
चमोली


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


(कनिष्ठ अभियन्ता)
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के अर्न्तगत बांजबगड-तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9.00 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु 2.012 वन भूमि हस्तान्तरण।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बाजबगड-तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण के अर्न्तगत प्रभावित होने वाली ग्राम -स्यारी (बंगाली) की सिविल भूमि 0.374 है. वन पंचायत स्यारी की 1.638 हे. वन पंचायती भूमि का स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण पर वृक्ष खडे मौजूद हैं, जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X-3/2011 /8(21)/2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/X-3/2011/8 (21) /2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त उल्लिखित ग्राम स्यारी सिविल एवं वन पंचायती भूमि कुल 2.012 है. वन भूमि में वृक्ष खडे होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल/ वन पंचायती भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।


अमीन


पटवारी


तहसीलदार


उप जिलाधिकारी


सहायक अभियन्ता
प्रा.व. लो.नि.वि.कर्णप्रयाग


अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.कर्णप्रयाग


बन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रकाश

परियोजना का नाम:-

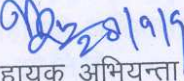
जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु ^{2.012} 2.012 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् ^{4.10} 4.10 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठा अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

1 परियोजना का नाम:- बांजबगड- तेलान मोटर मार्ग हेतु भूमि हस्तान्तरण।

2 वृक्षारोपण स्थल का नाम- स्यांरी सिविल क्षेत्रफल 4 रो किमी ।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है०/किमी०	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी लाख में	धनराशि
1	2	3	4	5
स्यांरी सिविल	4.00 किमी	पौध का मूल्य-100 पौध प्रति रो किमी रोपण कार्य ट्री गार्ड का डुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	1.00 लाख प्रति रो किमी	400000.00

जाच किया

ई० प्र०/मी०/चि०/अनुभाग
बद्रीनाथ द०प्र० गोपेश्वर

रक्षक
बद्रीनाथ द० प्र०
गोपेश्वर (नाम)

बद्री० द० प्र० गोपेश्वर

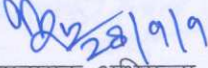
- परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

बांजबगड-तेलान प्रस्तावित मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची।

क्र०सं०	प्रजाति / विज्ञापित नाम	व्यास वर्ग	दर	धनराशि
1.	बांज <u>Quequcus indica</u>	0-10- 50 न० 10-20- 41 न० 20-30-11 न० 30-40-09 न० 40-50-07 न० 50-60-09 न० 60-70-03 न० 70-80-02 न० 80-90-01 न०	30.00 90.00 140.00 300.00 650.00 1100.00 1600.00 2200.00 2920.00	1500.00 3690.00 1540.00 2700.00 4550.00 9900.00 4800.00 4400.00 2920.00
2.	उत्तीस <u>Alnus nepalensis</u>	0-10 - 02 न० 10-20 - 12 न० 20-30 - 06 न० 40-50 - 05 न०	70.00 110.00 220.00 750.00	140.00 1320.00 1320.00 3750.00
3.	अथार <u>Rhododendron</u>	0-10 - 02 न० 10-20 - 15 न० 30-40 - 02 न० 40-50 - 01 न०	30.00 50.00 110.00 260.00	60.00 750.00 220.00 260.00
4.	बुरांश <u>Lanuginosa</u>	0-10 - 22 न० 10-20 - 38 न० 20-30 - 08 न० 30-40 - 02 न० 40-50 - 01 न० 50-60 - 01 न०	30.00 50.00 60.00 110.00 260.00 420.00	660.00 1900.00 480.00 220.00 260.00 420.00
5.	तिलौज <u>Flossibunda</u>	0-10 - 02 न० 10-20 - 02 न० 20-30 - 03 न० 50-60 - 02 न०	30.00 90.00 300.00 1210.00	60.00 180.00 900.00 2420.00
6.	मेहल <u>पहिलीकाफे-रकसे</u>	10-20 - 01 न०	50.00	50.00
	योग-	260 न०		51370.00


उप विभागीय अधिकारी
कटरीनाब वन प्रभाग
गोपेश्वर (चम्रेजी)


उप विभागीय अधिकारी
चन्दप्रयाग रेंज
गोपेश्वर व० प्रभाग

बॉज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

जनपद-चमोली के बांजबगड-तैलान मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.012 है० नाप सिविल/व०प० भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 27/2/2012 को निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान बॉज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:-

क्रम सं०	ब्लाक	प्रजाति	ब्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नाप भूमि	बॉज हरा खड़ा	10	12	07	04	04	06	03	01	—	—	47
2	वन पंचायत	बॉज हरा खड़ा	40	29	04	05	03	03	—	01	01	—	86
	योग—	—	50	41	11	09	07	09	03	02	01	—	133

नोट-उक्त बॉज वृक्षों का पातन अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
पिन्ही० व० प्रभाग

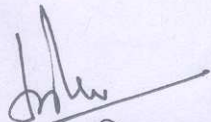
उप वन अधिकारी
ह०/०
प्रमोदी वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

मुख्य संरक्षक
गढ़वाल वृक्ष
निराकरण विभाग

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली में बांजबगड—तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(कि.मी. 9.00 से कि.मी.12.00 तक)

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में बांजबगड—तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य हेतु मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय समरेखण में आने वाले वृक्षों को बचाते हुये कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

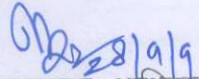

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

MUCK DISPOSAL PLAN

उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना

जनपद चमोली में ~~वाजवाड़ - तेलान मोटर मार्ग के किमी 0.9 का हल्का वाहन मार्ग से~~
~~मोटर में किमी 0.8 परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 0~~
 निर्माण हेतु शासनादेश सं. 10-12 ~~के नव निर्माण कार्य~~

के द्वारा 4.00 किमी. में स्वीकृति प्राप्त हुयी है। मार्ग निर्माण के समय पहाड़ी क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण के समय प्रति किमी 0 औसतन 6-8 स्कपर छोटे व बड़े नालों पर बनाये जाते हैं। उत्सर्जित मलवे को स्कपर के नीचे खड्ड साइड की और कम ढलान वाली जगह पर वायर क्रेट की दौहरी दीवार खड़ी कर मलवा डम्पिंग स्थल बनाये जायेंगे। उसमें अधिकांश मार्ग से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जायेगा। शेष बचे मलवे को सड़क के किनारे खड्ड साइड में दीवार का निर्माण कर मलवे को भरण (Filling) में डाला जायेगा। उसके बाद अवशेष मलवे को सड़क के सहारे ऐजवाल (Edge wall) लगाकर एवं मार्ग के सुपरएलिवेशन में प्रयोग किया जायेगा। जिससे आसपास की वन सम्पदा को क्षति न होने पाये। इस प्रकार डम्पिंग स्थल बनाने से भूमिगत जल का रिचार्ज भी बढ़ जायेगा तथा भू-स्खलन की सम्भावना भी कम होगी। इस प्रकार पर्यावरण की क्षति भी कम होगी। साथ ही भू-वैज्ञानिक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों पर पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।


 सहायक अभियन्ता
 प्रा.ख.लो.नि.वि.
 कर्णप्रयाग


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा.ख.लो.नि.वि.
 कर्णप्रयाग

Name of the Work :- Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikaran ka karya k.m. (9 to 12)

Material Received Due to Hill side Cutting	=	42000.00 Cum
Add Swell Factor @ 40%	=	16800.00 Cum
Total	=	58800.00 Cum

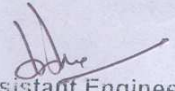
Use of Material -

Sl No	Length of Road	Item for Which Material is to be used	Quantity of Material Consumed (In Cum)
1	2	3	4
1	4.00	Stone Masonry in cement sand mortar	175.60
2	4.00	Stone Masonry laid Dry	1653.88
3	4.00	Hand Packed Stone Filling	803.32
4	4.00	Construction of Wire Crates	191.48
5	4.00	Granular Sub-Base (GSB)	2662.48
6	4.00	Construction of Parapets	217.88
7	4.00	Construction of Road Side Drain	105.16
8	4.00	Construction of Scuppers	1439.76
9	4.00	Concreting Works	85.20
10	4.00	Construction of Cooli Walling	264.00
11	4.00	Construction of Edge Stone	14.00
12	4.00	Construction of Causeway	144.00
13	4.00	GSB (Grading-1) Works	3169.16
14	4.00	G3 (Grading to be done using granulator at site)	1331.24
15	4.00	Super Elevation and Patri Filling	3267.56
		Total	15524.72

Material Left for Disposal	=	(58800.00-15524.72) Cum
	=	43275.28 Cum

As per the attached Detail, the capacity of the Dumping Zone

= 44175.00 Cum


Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

Detail of Muck Disposal Sites

Name of the Work :- Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikaran ka karya k.m. (9 to 12)

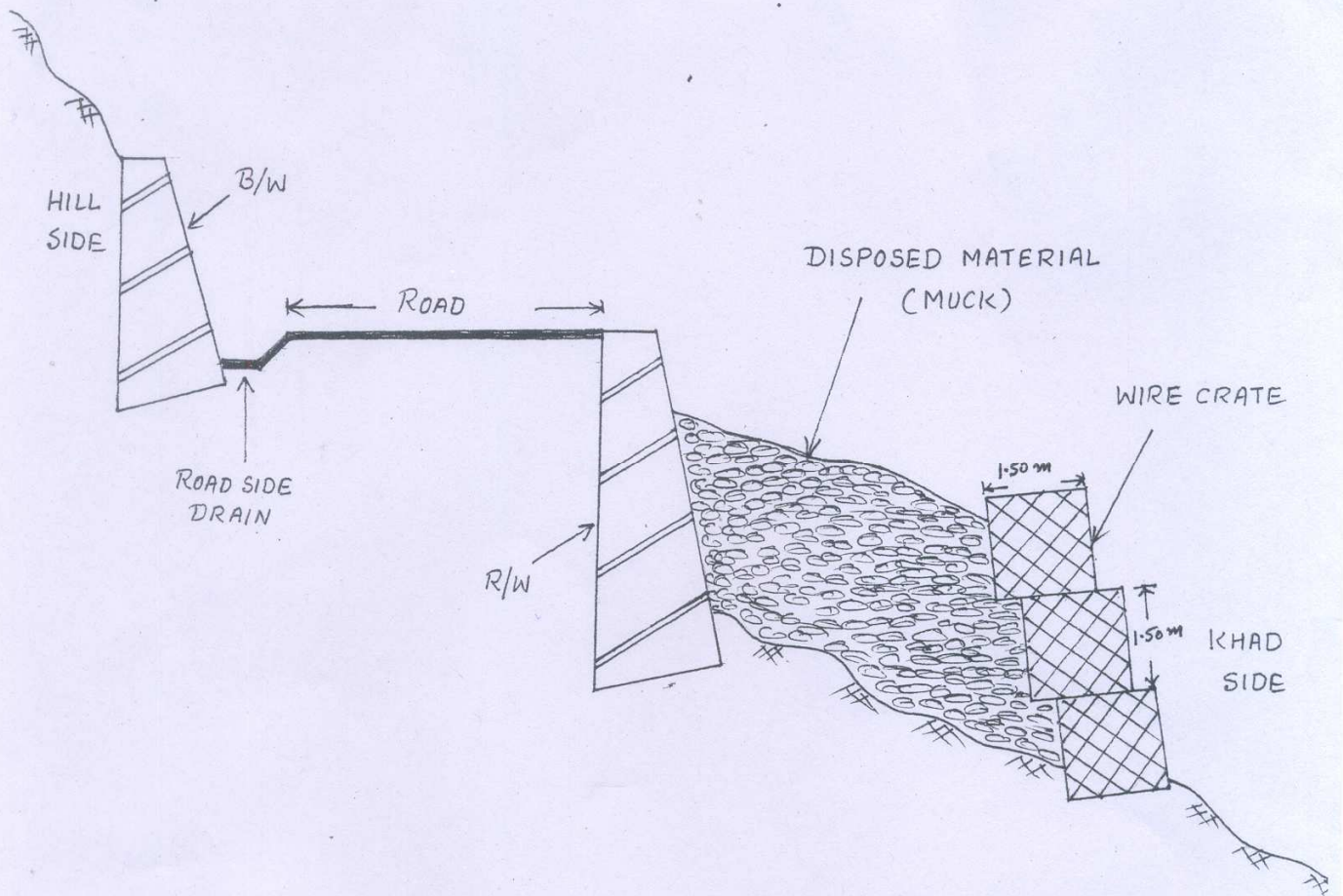
Sl. No.	Location of Dumping Yard	Type of Land	Khasra No.	Length (In m)	Width (In m)	Height of the Dumping Zone	Volume of the Dumping Zone (In Cum)	Latitude (N)	Longitude (E)
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10
1	Km 8 Xs 7/40	Nap Land	1856, 1855, 1854, 1852	50.00	30.00	4.50	6750.00	30°12'01.2"	79°27'52.6"
2	Km 9Xs 9/2	Nap Land	1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007	60.00	40.00	4.50	10800.00	30°11'53.2"	79°27'56.3"
3	Km 10 Xs 9/9	Nap Land	2078, 2080, 2076, 2077, 2079,	60.00	30.00	4.50	8100.00	30°11'53.1"	79°27'56.3"
4	Km 10 Xs 9/19	Nap Land	1974, 1975, 1976, 1968, 1916, 1970, 1972, 1973, 1969	50.00	30.00	4.50	6750.00	30°11'54.3"	79°27'57.1"
5	Km 11 Xs 10/8	Nap Land	3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3375 3373, 3374, 3376, 3377,	60.00	30.00	3.00	5400.00	30°11'45.9"	79°28'00.6"
6	Km 11 Xs 10/35	Nap Land	2230, 2231, 2232, 2234, 2228, 2224, 2225, 2226, 2233	45.00	25.00	3.00	3375.00	30°11'50.5"	79°28'04.2"
7	Km 12 Xs 11/26	Nap Land	2331, 2332, 2333, 2234, 2346,	50.00	20.00	3.00	3000.00	30°11'50.1"	79°28'07.1"
						TOTAL	44175.00		


Junior Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag


Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

कार्यकानाम - जनपद चमोली में बाजपाड़ा तैलान मौवरा मार्ग के किमी. 9 का हल्का बाहन मार्ग से मौवरा मार्ग में परिवर्तन एवं समीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य.



TYPICAL X-SECTION OF MUCK DISPOSAL PLAN

JE

AE

EE

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

मान्यता सिद्ध किछर
भवदीय,

नाम- लक्ष्मी प्रताप केदारसिंह
ग्राम- स्यांरी बंगाली
पञ्चस- घाट

का. सेक्शन $\frac{8}{1}$ to $\frac{8}{3}$ पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर लक्ष्मी प्रताप केदारसिंह पुत्र श्री केदारसिंह ग्राम स्यांरी बंगाली प.वृ. घाट जिला-चमोली, तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	61	1852	0.053
		1854	0.040
		1855	0.025

118 20

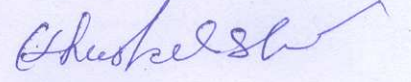
Bind
3.6.

मान्यता सिद्ध किछर
मान्यता सिद्ध किछर
मान्यता सिद्ध किछर

मान्यता सिद्ध किछर
मान्यता सिद्ध किछर
मान्यता सिद्ध किछर

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।



भवदीय,

नाम- खुशालासिंह श्री गोविन्दसिंह

ग्राम- खोशी बंगाली
प.व. घाट (चमोली)

का. सेक्शन 9/2-9/4 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर खुशालासिंह
पुत्र श्री गोविन्दसिंह ग्राम खोशी प.व. घाट जिला-चमोली ,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है ।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	8	2004	0.016
		2005	0.001
		2006	0.036
		2007	0.040

0.103 हे


2.4.


सहायक अभियन्ता
ज.प. व. व. लो. नि. वि.


ह.प. उ. नि.
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

उदय सिंह
भवदीय, रणजीतसिंह

नाम- उमेशसिंह, रणजीतसिंह मोहन
सिंह पुत्र नारायणसिंह

ग्राम- स्याही बंगाली
प.व. 0 - घाट (चमोली)

का. सेक्शन $\frac{9}{2} - \frac{9}{4}$ पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर उमेशसिंह रणजीतसिंह
पुत्र श्री नारायणसिंह ग्राम स्याही बंगाली प.व. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क्र.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	4	1999	0.045
		2000	0.023
		2001	0.020
		2002	0.020

0.108 हे०

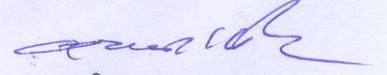
34.

सहायक अधिवक्ता
ज. त. व. ख. लो. नि. वि.

34/10/20
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।


भवदीय,

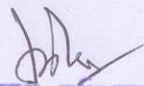
नाम- बच्चनसिंह, गौंगी सिंह पुरु
श्रीमती जोमती देवी
ग्राम- शाम-सुचोरी बंगाली
पिछोरा - घाट

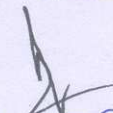
का. सेक्शन 9/9 - 9/8 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर बच्चनसिंह, गौंगी सिंह
पुत्र श्रीमती जोमती देवी ग्राम शाम-सुचोरी बंगाली प.वृ. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	36	2076	0.034
		2077	0.043
		2079	0.030

0.107 हे०


38.


सहायक अभियन्ता
जनसंशोधन एवं लो. नि. बि.
12.12.88


1/10/88
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

भवदीय,

नाम- शिवसेह कुब वादरासेहग्राम- स्थोरी बंगाली
पंचायत घाट चमोली

का. सेक्शन 9/7-9/8 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर शिवसेह कुब
पुत्र श्री वादरासेह ग्राम स्थोरी प.वृ. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	62	2078	0.058
		2080	0.011

0.069 हे.

3.6.

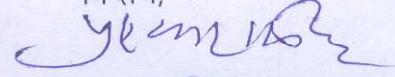
3.6.
जनपद चमोली
जनपद चमोली
जनपद चमोली

3.6.
जनपद चमोली
जनपद चमोली
जनपद चमोली

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

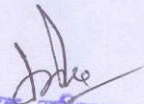
भवदीय,

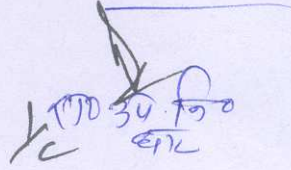

नाम- पुष्करासिंह श/० नारायणासिंहग्राम- रुयारी बंगाली
फोक्स-घाट चमोली

का. सेक्शन 9/19-9/20 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर पुष्करासिंह
पुत्र श्री नारायणासिंह ग्राम रुयारी प.वृ. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	35-	1972	0.010
		1973	0.020
			0.030 हे.




सहायक अभियन्ता
जनपद चमोली लो. नि. वि.


30.10.20
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

भवदीय, एसिड

नाम- एसिड खोखारी
ग्राम- खोखारी बंगाली
घाट चमोली

का. सेक्शन 9/19-9/20 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर एसिड
पुत्र श्री एसिड ग्राम खोखारी प.व. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	33	1974	0.028
		1975	0.008
		1976	0.048

0.084 हे०

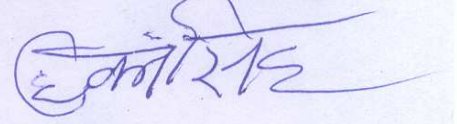
3.4

सहायक अभियन्ता
मानवीय संसाधन लो. नि. वि.
चमोली

एसिड
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।



भवदीय,

नाम- डुकमासे दित्तवरासे
पुव डुकमासे

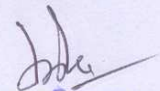
ग्राम- खोरी बंगाली
पुर्वो घाट चमोली

का. सेक्शन 9/19-9/20 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर डुकमासे दित्तवरासे
पुत्र श्री डुकमासे ग्राम खोरी प.वृ. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	65	1968	0.010
		1916	0.06
		1970	0.023
		1971	0.015

0.064 हे०

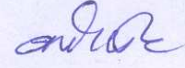



सहायक अधिवक्ता
जनपद चमोली, जिला-चमोली


170 उपवि
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।



भवदीय,

नाम- कृष्ण सिंह & संजिवी प्रसाद

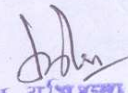
ग्राम- खोरी बोगाकी
प.क्षेत्र घाट-चमोली

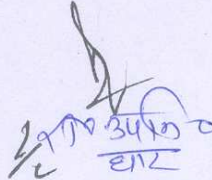
का. सेक्शन 10/8 - 10/8 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर कृष्ण सिंह
पुत्र श्री संजिवी प्रसाद ग्राम खोरी प.वृ. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क्र.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	17	3373	0.016
		3374	0.021
		3376	0.046
		3377	0.046

0.129 हे.


ज.स.


महापंच अधिकारी
जनपद चमोली लो. नि. बि.
चमोली


संजिवी प्रसाद
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

भवदीय,

नाम- धोंचू पूर बैहरवाकसेहग्राम- रुयेरी बंगाली
पञ्चकेश घाट चमोली

का. सेक्शन 19/6 + 10/8 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर धोंचू पूर
पुत्र श्री मैहरवाकसेह ग्राम रुयेरी प.व. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क्र.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	17	3368	0.013
		3369	0.013
		3370	0.0008
		3371	0.020
		3372	0.039
		3375	0.010

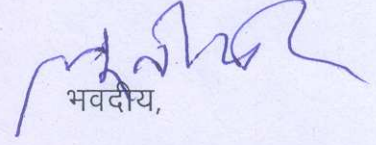
0.103 हे०36.

सहायक अभियन्ता
कानूनी व खण्ड लो. नि. बि.
2.10.18

सहायक अभियन्ता
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

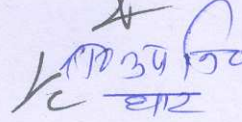

भवदीय,

नाम- भूपीसिंह मंगलसिंह
पुत्र लाला
ग्राम- खारी बंगाली
प.व. घाट चमोली

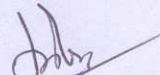
का. सेक्शन 10/33 + 10/35 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर भूपीसिंह मंगलसिंह
पुत्र श्री लाला ग्राम खारी प.व. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	56	2224	0.010
		2225	0.016
		2226	0.010

0.036 हे.

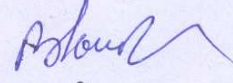

लाला
घाट


ज.स.


सहायक अभियन्ता
मान्य खण्ड लो. नि. वि.
चमोली

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।



भवदीय,

नाम- मोहन सिंह S/O लूची सिंहग्राम- रूयांसी बंगाली
प.व. घाट चमोली

का. सेक्शन 10/33-10/35 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर मोहन सिंह
पुत्र श्री लूची सिंह ग्राम रूयांसी प.व. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.

खाता नं.

खसरा नं.

भूमि क्षे. (हे.)

1

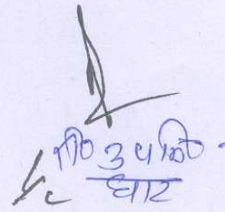
50

2228

0.01 हे.



सहायक अभियन्ता
जनपद चमोली लो. नि. वि.
15/4



अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

उपस्थित
B.S.B.

भवदीय,

नाम- उपस्थित/विजयसिंह
डॉ. नारायणसिंह
ग्राम- स्योरी बंगाली
पट्टेचौक - घाट चमोली

का. सेक्शन 10/33-10/35 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर उपस्थित/विजयसिंह
पुत्र श्री नारायणसिंह ग्राम स्योरी प.वृ. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
	30	2233	0'045-
		2234	0'035-

0.080

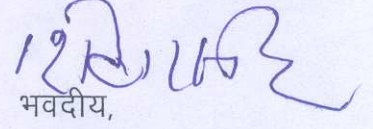
3.6.

सहायक अभियन्ता
खान्दोय खण्ड लो. नि. बि.
12.12.8.

1/1703पकि
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।


भवदीय,

नाम— शिवसिंह शर्मा

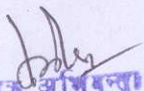
ग्राम— खोरी वंगली
पंचो - बार चमोली

का. सेक्शन 10/33-35 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर शिवसिंह
पुत्र श्री सादरसिंह ग्राम खोरी प.व. बार जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क्र.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
1	62	2230	0.030
		2231	0.031
		2232	0.006

0.067 हे.


3.6.


सहायक अधीक्षक
जानकी व खण्ड लो. नि. बि.
12.12.18


14034176
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।


भवदीय,

नाम- कृष्णसिंह शर्मा
ग्राम- स्योरी बंगाली
प.वृ. घाट चमोली

का. सेक्शन 11/26 - 11/27 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर कृष्णसिंह शर्मा
पुत्र श्री कृष्णसिंह ग्राम स्योरी प.वृ. घाट जिला-चमोली ,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
	5	2331	0.033 हे


K. S. Singh
चमोली


3.4.


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण विकास लो. नि. बि.
12.12.18

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।



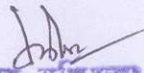
भवदीय,

नाम- पुष्करसिंह काजीसिंहग्राम- खोशी बंगाली
पौडी बगड चमोली

का. सेक्शन 11/26-11/27 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर पुष्करसिंह
पुत्र श्री काजीसिंह ग्राम खोशी प.वृ. घाट जिला-चमोली,
तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्ष. (हे.)
	30	2346	0.055 हे०




सहायक अभियन्ता
जनपद चमोली


ह. 1034 कि
घाट

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-बांजबगड-बंगाली मोटर मार्ग के कि.मी.9 का हल्के वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण एवं कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस परियोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ ।

महेपाल सिंह

भवदीय,

नाम- कुवरासिंह, रामासिंह माहेपाल
सिंह एवं जसरासिंह
 ग्राम- रुचोरी के ग.प.क.
फर्रुखाबाद - घाट चमोली

का. सेक्शन 11/26 to 11/27 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर कुवरासिंह रामासिंह
माहेपालसिंह पुत्र श्री जसरासिंह ग्राम रुचोरी प.वृ. घाट जिला-चमोली,
 तहसील-घाट के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क्र.सं.	खाता नं.	खसरा नं.	भूमि क्षे. (हे.)
	7	2332	0.014
		2333	0.029
		2334	0.055

0.098 हे०

महेपाल सिंह
उपनि०
घाट

3.6

सहायक अभियन्ता
जनपद चमोली लो. नि. वि.

कार्यकालाम - जनपद चमौली में बाजबुड टैक्सा न मार्ग के किमी 9 का हल्का बाहन मार्ग से मौल मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवीनीकरण कार्य,



(X-5) $\frac{8}{2}$

3.6.

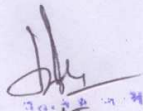
AE
सहायक अभियन्ता
आन्ध्र प्रदेश लो. नि. वि.
B.P.S.

कार्य का नाम - जमपद चमोली में वाजवाड तैलान मार्ग के किमी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य,

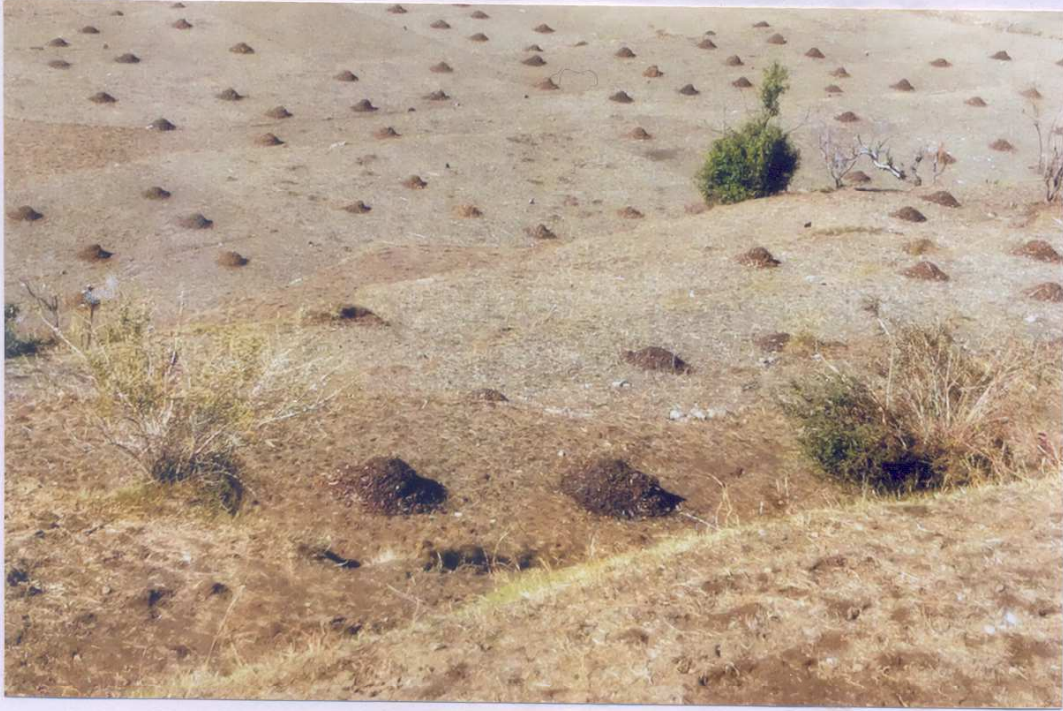


X-5 $\frac{9}{2}$

Om
1.6.

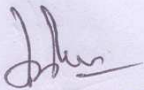

जमपद चमोली में
वाजवाड तैलान मार्ग के
किमी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य,
1.6.6.

कार्य का नाम - जयपुर चमौली में बाजबागड़ तैलान मार्ग के किमी. ९ का
हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं जमीनीकरण का
कार्य तथा किमी. १० से १२ तक नवनिर्माण कार्य.



$\frac{X}{S} \frac{9}{19}$

वि.
३.६.


तहसील अधिकारी
कानूनी सचिव को. वि. वि.
२०१४

कार्य का नाम - जनपद चमौली में बांजवाड़ा तैलान मार्ग के किमी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं जामरीकरण का कार्य तथा किसी 10 से 12 तक स्तरीकरण कार्य.



X.S. 9
19

34.

44
मुख्य कार्यकर्ता
कर्मचारी बो. नि. वि.
25/11/23

कार्य का नाम - जनपद चमौली में बाजबगड तैलान मार्ग के किमी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मौर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य,



X-5. $\frac{16}{8}$

2.5

[Signature]
 राज्य अभियन्ता
 जलवीर खड मो. नि. वि.
 15.10.11

कार्य का नाम - जनपद चमौली में बाजबाड़ा हिलान मार्ग के किमी.
का हलना बाहने मार्ग से मीटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण
का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य,



X.S. $\frac{10}{35}$

AC
J.L.

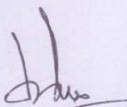
AC
जनपद चमौली
बाजबाड़ा हिलान
मार्ग पर
नवनिर्माण कार्य

कार्य का नाम - जनपद चमौली में बाजबाड़ा रेलान मार्ग के किमी. 9 का टुकड़ा गहलन मार्ग से मीटर मार्ग में परिवर्तन एवं समरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य



X.S. 11
26

3.2.2


सहायक अभियन्ता
राज्य सड़क बो. वि. वि.
लखनऊ

राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकास, खण्ड घाट के अन्तर्गत
व्यांजबागड़-हेल्नाठा मोटर मार्ग में जो सिविल/ वन पंचायती/ आरक्षित वन भूमि
प्रभावित हो रही है वह राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। उक्त
मार्ग के राष्ट्रीय पार्क से दूरी लगभग 8 कि.मी. है।


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
देवी० व० प्रभाकर


उप निरीक्षक,
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

- परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली उपरोक्त परियोजना में सिविल / वनपंदायती / आरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है या नहीं है। इस 8 km से अधिक है

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र

जारी: वन प्रशा. बोरेबगड़

वन संरक्षक,
वन संरक्षण प्रभाग,
नैनीताल (चमोली)

(म) चमोली (चमोली)
कमल



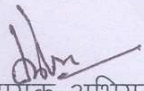
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

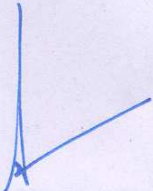
Phone/Fax- 01363-244204

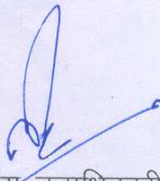
Email:- eepdpwdkpg@gmail.com

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ प्रभाग
गोपेश्वर।
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ प्रभाग
गोपेश्वर (बनोसी)

प्रमाण पत्र

(39)

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा घाट
 तेल्गान बंगाली मोटर मार्ग की कि० मी० ४ से आगे
 जो सर्वे की गई है उसमें समस्त ग्राम
 वासीयों को किसी भी प्रकार की कोई
 आपत्ति नहीं है। अतः उक्त समरक्षण पर ही
 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाय,

सत्यप्रतिगिपि
 28/9/9
 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय सण्ड लो.नि.वि.
 वर्णप्रयाग



जनपद चमोली में बांजबगड़ तैलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

28/9/9
सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिकासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी


 नागरिक वनाधिकारी
 वन विभाग
 पोष्टेस्वर (नागेश्वरी)

(2) माहिती देता वत
का. ४०

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(४५)

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 153/1856/08

जनपद चमोली में बांजबगड़-तेलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित रामरेखन
की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अक्टूबर 2008

जनपद चमोली में बांजबगड़-तेलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आर्य्या।

1. प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के अन्तर्गत 3.00 कि०मी० लम्बाई में बांजबगड़-तेलान मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.7.2008 को संबंधित सहायक अभियन्ता श्री वी०एस० पुण्डीर एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री दीप चन्द्र पाण्डे के साथ निरीक्षण किया गया।
2. राज्य योजना के अन्तर्गत बांजबगड़ तेलान मार्ग के कि०मी० 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा कि०मी० 10 से 12 तक 3.00 कि०मी० लम्बाई में मार्ग के नवनिर्माण का कार्य स्वीकृत है। पूर्वनिर्मित बांजबगड़-तेलान हल्का वाहन मार्ग के कि०मी० 9 का प्रथम हेयर पिन बैण्ड तथा मार्ग की दोनों आर्म्स भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हैं। नीचे स्थित चुफल्या गाड़ के द्वारा मार्ग की ओर कटाव (टो इरोजन) किये जाने के कारण इस भाग में स्लिप जोन बन गया है। अतः भूस्खलन से प्रभावित कि०मी० 9 के इस भाग को avoid करने के लिये खण्ड द्वारा मार्ग के समरेखन में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत स्लिप जोन के पूर्व ही मार्ग के समरेखन में परिवर्तन कर इसे पुनः चैनैज 8.625 पर पूर्व निर्मित मार्ग से मिला दिया जायेगा। इस भाग में दो एच०पी० बैण्ड्स निर्मित किये जाने होंगे। इसके आगे मार्ग के नवनिर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखन बनाये गये हैं परन्तु समरेखन संख्या दो में कई स्थानों पर भूस्खलन क्षेत्र होने के कारण समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। इस मार्ग से बंगाली तोक (ग्राम स्यारी) लाभान्वित होगा। नवनिर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन में ६ हेयर पिन बैण्ड्स दिये गये हैं। प्रथम दृष्टया तैण्डस अधिक है तथा इनके कारण मार्ग की अनेक आर्म्स एक दूसरे के ऊपर निर्मित की जानी होंगी। यदि चुफल्या गाड़ के कारण उत्पन्न स्लिप जोन का प्रभाव ऊपर तक बढ़ता है तो प्रस्तावित मार्ग के भी भविष्य में प्रभावित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। स्यारी गांव के नीचे का भाग भी भूस्खलन से प्रभावित है। अतः इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु यह भी महत्वपूर्ण है कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर क्षेत्र में भूस्खलन की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जायें।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।
 - (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये। पास-पास स्थित बैण्ड्स के मध्य यथासम्भव दूरी बढ़ाते हुये बैण्ड्स की संख्या को कम करने का प्रयास किया जाये तथा एक के ऊपर दूसरा बैण्ड न बनाया जाये।
 - (ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

स्थायी प्रतिकृति

02/08/19

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

- (घ) बंगाली गांव के पूर्व पहाड़ के एक ही ढलान पर बैण्डस होने के कारण मार्ग की अनेक आर्म्स एक दूसरे के ऊपर हो जायेगी जो सामान्यतः मार्ग की स्थिरता तथा अनुरक्षण की दृष्टि से अनुकूल स्थिति नहीं है। अतः विस्तृत सर्वेक्षण के समय बैण्डस के मध्य दूरी बढ़ाते हुये यथासम्भव बैण्डस की संख्या को कम किया जाये।
- (ङ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बनाया जाये, अन्यथा उस भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।
- (च) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेट कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
- (छ) कि०मी० 9 में स्लिप जोन से पहले ही सुरक्षित दूरी रखते हुये एच०पी० बैण्ड बना कर समरेखन में परिवर्तन किया जाये। चुफल्या गाड़ द्वारा मार्ग की ओर किये जा रहे कटाव को रोपण के लिये समुचित सुरक्षात्मक उपाय किये जाये।
- (ज) जहाँ आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
- (झ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाइड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
- (त) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियान्त्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-

- (i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साइड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ii) समरेखन में एक ही हिल फेस पर नियोजित किये गये हेयर इन बैण्डस पास-पास होने की स्थिति में मार्ग की आर्म्स के मध्य दूरी कम रहेगी। तीव्र ढलान पर over burden material होने की स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
5. बांजबगड़-तेलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.00 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तान्तरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।
- (2) मुख्य अभियन्ता स्-1, लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बंध में प्रेषित पत्रांक 7272/8 (1) याता०-उ०/05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जायें।

सत्यप्रतिलिपि

22/11/08
प्रमुख अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
वर्णप्रयाग

H. Kumar
17.10.08
मुख्य अभियन्ता
कार्यालय मुख्य अभि स्तर-1
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून

(40)

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen mulch treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

2.29 (b)

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

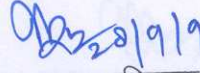
2.30 to 2.31 (b)

15. वन भूमि के ऊपर रे विद्युत लाईन दे जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठा अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

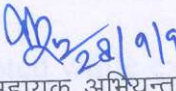
परियोजना का नाम:- जनपद चमोरा में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का नल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

28/9/19
सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पटवारी क्षेत्र

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभारी वन प्रभक
प्रभारी वन प्रभक
तेपेश्वर (चमोली)

(सी) मजिस्ट्रेट
वाध

जिला अधिकारी
चमोली

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

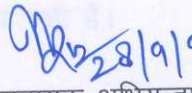
जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु 11 भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

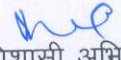
वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को जलौनी लकड़ी/कुकिंग गैस आदि उपलब्ध कराया जाना

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण में कार्य करने वाले श्रमिकों अथवा कर्मचारियों के लिए निर्माण एजेंसी विभाग डीजल एवं मिट्टी का तेल की आपूर्ति ईंधन के रूप में करेगा, वन्य जलौनी लकड़ी का उपयोग उक्त कार्य में नहीं किया जायेगा।

28/9/19
सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्मप्रयाग।

अभिष्मारी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्मप्रयाग।

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
.....		
स्थगरी (बंगाली)		1101
.....		
	योग —	1101

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

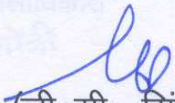
सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

इको क्लास/एन0पी0वी का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम— जनपद—चमोली के अन्तर्गत बांजबगड़—तेलान हल्का वाहन मार्ग किमी0 9 का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं 10 से 12 तक वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि ईको क्लास V Dense Forest के अन्तर्गत आता है। जिसका एन0पी0वी0 का मूल्य 2.012 हे0 प्रति है0 X 845000.00/— की दर से रू0= 1700140.00/— (रू0 सत्रह लाख एक सौ चालीस) मात्र होता है।


(जी०सी० सिंह)

उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:-

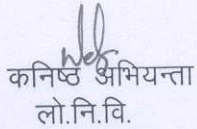
जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

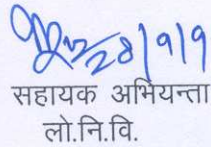
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लो0नि0वि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लो0नि0वि0 द्वारा जमा करा दी जायेगी।



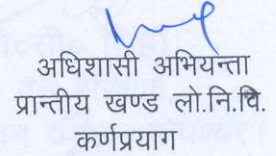
अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.



सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.



अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

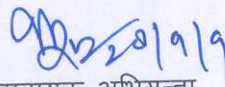
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का सीमांकन का प्राक्कलन

1 परियोजना का नाम:--- बांजबगड-तेलान मोटर मार्ग निर्माण 4.00 किमी भूमि हस्तान्तरण।

क्र०सं०	विवरण/इकाई	कुल किमी	दर प्रति किमी	धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आर०सी०सी० पिल्लर(मुनारा) बनाना 1:6 सीमेंट मसाले में मय प्लास्टर करना दो कोट चूना सफेदी व नम्बर करना	4 किमी	11640.00	46560.00

जाच किया

ई० प्र०/आ० वि० अनुभाग
बलराम प० प्र० गोपेश्वर

इस वन परिक्षेक
बलराम प० प्र०
गोपेश्वर (दस्तावेज)

परिमाण 4.00 किमी भूमि

फैक्ट शीट

1:-परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में बांजबगड-तेलान मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा कि.मी. 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

2:- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) 2.012 है.

आरक्षित वन भूमि-		-शून्य -
सिविल एवं स्वयं वन भूमि:-	535 मी. X 7 मी.-	0.374 है.
वन पंचायती भूमि-	234 मी. X 7 मी.-	1.638 है.,
निजी भूमि -	1125 मी. X 7 मी.-	0.788 है.
योग:-		2.80 है.

3:- प्रस्तावक विभाग का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.कर्णप्रयाग,

4:- वन प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

5:- प्रस्ताव बांड़डिंग किया गया है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं

6:- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:- ☒ हाँ / ☐ नहीं

7:- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।

☒ हाँ / ☐ नहीं

8:- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

☒ हाँ / ☐ नहीं

9:- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:-

☒ हाँ / ☐ नहीं

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण-पत्र संलग्न है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है : ☒ वैकल्पिक संरक्षण विस्तार का विवरण संलग्न
13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है ☒ हाँ / ☒ नहीं
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
- यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है : ☒ हाँ / ☒ नहीं
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) : ☒ नया स्वीकृत है.
 ☒ संलग्न 65 A

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2
रंगों से भरा गया है :
23. यदि सड़क का आरम्भिक विन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो
उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है :
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का
उल्लंघन हुआ है :
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी
अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई
कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय :
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक
समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं :
27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत
नोट संलग्न किया जाय) :
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे० से
अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) :
29. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है :
30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है :

हाँ / नहीं

हाँ / नहीं

हाँ / नहीं

नहीं

हाँ / नहीं

संलग्न

हाँ / नहीं

हाँ / नहीं

हाँ / नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है :

हाँ / नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र
प्रस्ताव में संलग्न है :

हाँ / नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में
संलग्न हैं, यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे
सत्यापित हैं :

हाँ / नहीं

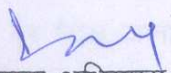
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण - पत्र संलग्न है : ☒ हाँ / ☐ नहीं

34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है : ☒ हाँ / ☐ नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है : ☒ हाँ / ☐ नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं : ☒ हाँ / ☐ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्मेट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है ।
समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।


सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0
क०8. कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0
क०8. कर्णप्रयाग

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from डा. वि. लाल. प्राचीन खड्ड वी. नि. मी.
for diversion under FCA-1980) of 2.512 ha. of forest
land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction
of सामकट डेलान मी. जल. वी. परियोजना का. नव निर्माण
The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-
21-5-11

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a
RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 2.512 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is
unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If,
so the details there of- N.A.

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other
important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from
competent authority, it required.-

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act
1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation),
Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of
Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place:- गोपेश्वर
Date... 21/5/11

(Signature) [Signature]
Name... डॉ. वि. लाल
Designation... सहायक वन प्रभारी
Office Seal गोपेश्वर (चमोली)

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option
which is not applicable.

As per letter number 22/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment &
Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest
land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more
than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is
required.

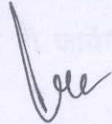
(५)

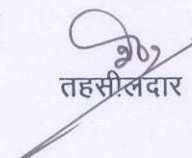
परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में बांजबगड़ तेलान मोटर मार्ग के किमी 0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डाभरीकरण का कार्य तथा किमी 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 2012 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये-----8,50,000.00-----प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु० 17,10,000.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेंट X प्रतिशत की दर से X रु० होता है।


पटवारी क्षेत्र


तहसीलदार


उपजिलाधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली

प्रातहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
चमोली